संख्या: 2/2026/आई/1351202/पैंतीस-2-2026

प्रेषक,

मासूम अली सरवर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-2027 में जनपद की डी.डी.पी. के बेहतर आंकलन हेतु सर्वेक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 83/ले0-44/2025 दिनांक 19 मई 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-40 लेखाशीर्षक ''3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-112-आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी-03-आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3009.52 लाख (रूपये तीस करोड नौ लाख बावन हजार मात्र) अवमुक्त करने के साथ ही सर्वेक्षण कार्य में लगे Manpower (surveyor एवं supervisor) को पारिश्रमिक, क्षेत्र कार्य भत्ता का भुगतान जेम पोर्टल पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी को किये जाने की अनुमति के साथ-साथ PLFS तथा ASUSE सर्वेक्षण की Data Processing, Analysis and Report Generation के कार्य के लिए जेम पोर्टल पर चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी को भी भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक ''3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-112-आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी-03-आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी'' में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 3009.52 लाख (रु० तीस करोड़ नौ लाख बावन हजार मात्र) के सापेक्ष सुसंगत मदों के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंकित धनराशि सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को नियमानुसार वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

कोड सं0 व मद का नाम	प्रावधानित धनराशि	आवंटित धनराशि
04- यात्रा व्यय	152.20	152.20
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	8.55	8.55
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.90	4.90
42- अन्य व्यय	2.00	2.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	56.00	56.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	220.00	220.00
58-आउट सोर्सिंग हेतु भुगतान	2565.87	2565.87
योग	3009.52	3009.52

(रूपये तीस करोड नौ लाख बावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेन्शिएल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उत्तर प्रदेश भंडार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/आई०टी इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों प्रोक्योरमेंट मैनुअल प्रोक्योरमेंट आफॅ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(7) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-2 को प्रेषित किया जायेगा।

(8) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, अर्थ एवं संख्या की होगी तथा निदेशक, अर्थ एवं संख्या यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(9) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान आवश्यकता होने पर ही किया जाय तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(10) PLFS एवं ASUSE Survey Related Data Processing, Data Analysis and Report Generation कार्य हेतु चयनित एजेंसी को प्रस्तावित कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध रूप से कार्य करवाने हेतु Milestone निर्धारित किए जाने का दायित्व निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(11) निदेशक, अर्थ एवं संख्या द्वारा Key Performance Indicators एवं रिपोर्ट की गुणवत्ता के आधार पर Payment Schedule निर्धारित की जाए।

(12) एजेन्सी द्वारा generate reports का निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा validation कर तदनुसार ही payment की installment जारी की जाए।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक ''3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-112-आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी-03-आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी' के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,
मासूम अली सरवर
सचिव।

संख्या: 2/2026/आई/1351202(1)/पैंतीस-2-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमित सिंह बसंल
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।